(IJASSH) 2024, Vol. No. 18, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5150 p-ISSN: 2455-7722**

महिला सशक्तिकरण एवं कानूनी जागरूकता में एनजीओ की भूमिका

प्रमोद कंवर

शोधार्थी (जेआरएफ), राजनीति विज्ञान विभाग

श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनूं, राजस्थान

Role of NGOs in Women's Empowerment and Legal Awareness

Pramod Kanwar

Research Scholar (JRF), Department of Political Science, Shri Jagdishprasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhunjhunu, Rajasthan

[1]*Received: 30 September 2024; Accepted: 31 October 2024; Published: 23 December 2024*

Abstract

This study explores the multifaceted role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in promoting women's empowerment at the global level. The primary objective of this internship was to gain firsthand experience of grassroots initiatives focused on legal aid, gender awareness, self-defense training, menstrual hygiene education, and rehabilitation support. Each week was designed with specific objectives, including participation in awareness programs, documentation of inspiring success stories, assistance in program evaluation, and preparation of outreach materials. The internship highlighted the importance of community engagement, the crucial role of NGOs in bridging the gap between policy and grassroots realities, and the practical challenges involved in ensuring women's safety and empowerment. Through field visits, case studies, and impact assessments, the internship provided a comprehensive understanding of how NGOs function as agents of social change. This study not only presents the outcomes of the internship but also examines the strategies adopted by NGOs to promote the welfare and empowerment of women in India.

Keywords: *NGOs; Women's Empowerment; Evaluation; Characteristics.*

सार

यह शोध वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की बहुआयामी भूमिका की पड़ताल करता है। इस इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य ज़मीनी स्तर के उन कामों का सीधा अनुभव हासिल करना था, जो कानूनी सहायता, लैंगिक जागरूकता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मासिक धर्म स्वच्छता शिक्षा और पुनर्वास सहायता जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित थे। हर हफ़्ते के कुछ खास लक्ष्य होते थे, जिनमें जागरूकता सत्रों में हिस्सा लेना, प्रेरणादायक सफलता की कहानियों को दस्तावेज़ के रूप में सहेजना, कार्यक्रमों के मूल्यांकन में मदद करना और लोगों तक पहुँचने के लिए सामग्री तैयार करना शामिल था। जैसे कि समुदाय के साथ जुड़ने का महत्व, नीतियों को ज़मीनी हकीकत से जोड़ने में एनजीओ की अहम भूमिका, और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में आने वाली असली चुनौतियाँ। फ़ील्ड विज़िट, केस स्टडी और प्रभाव आकलन के माध्यम से, इस इंटर्नशिप ने इस बात का एक व्यापक नज़रिया पेश किया कि एनजीओ किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में

[1] *How to cite the article:* Kanwar P; Role of NGOs in Women's Empowerment and Legal Awareness; *International Journal of Advancement of Social Science and Humanity;* Jul-Dec 2024, Vol 18, 133-138

(IJASSH) 2024, Vol. No. 18, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5150 p-ISSN: 2455-7722**

कार्य करते हैं। यह शोध न केवल इंटर्नशिप के परिणामों को दर्शाता है, बल्कि भारत में महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की भी पड़ताल करता है।

मुख्य शब्द : एनजीओ, महिला सशक्तिकरण, मूल्यांकन, विशेषताएं

परिचय

भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जहाँ कानूनी ढाँचे और सरकारी प्रयासों के बावजूद लिंग-आधारित हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाएँ बड़े पैमाने पर होती रहती हैं। इन मुद्दों की बहुआयामी प्रकृति के लिए केवल नीति-स्तर के हस्तक्षेपों से कहीं अधिक की आवश्यकता है—इसके लिए समुदाय-आधारित समाधानों, जागरूकता पैदा करने और पीड़ितों को सीधे सहायता प्रदान करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जमीनी स्तर पर बदलाव के वाहक के रूप में कार्य करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह इंटर्नशिप एक प्रतिष्ठित एनजीओ में की गई थी, जो महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना था, विशेष रूप से यह समझना कि एनजीओ कानूनी सहायता, परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यशालाओं और स्वास्थ्य व स्वच्छता अभियानों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं। इस इंटर्नशिप ने प्रमुख पहलों को देखने और उनमें भाग लेने, लाभार्थियों के साथ बातचीत करने, तथा क्षेत्र कार्य और दस्तावेज़ीकरण दोनों में योगदान देने के अवसर प्रदान किए। सात सप्ताह की अवधि के दौरान, इस इंटर्नशिप ने एनजीओ -नेतृत्व वाले हस्तक्षेपों की संरचना, कार्यप्रणाली और प्रभाव के बारे में मूल्यवान अनुभव प्रदान किया। यह रिपोर्ट सीखने के परिणामों, क्षेत्र के अनुभवों, वास्तविक जीवन के मामलों के दस्तावेज़ीकरण, तथा महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने में एनजीओ के कार्यों की चुनौतियों और उपलब्धियों पर विचारों को प्रस्तुत करती है।

महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल एक मौलिक मानवाधिकार है, बल्कि सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। हाल के दशकों में काफी प्रगति होने के बावजूद, वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं, जो समाज में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी और योगदान में बाधा डालती हैं। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) इन चुनौतियों का सामना करने और विभिन्न उपायों तथा पहलों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले के रूप में उभरे हैं। इस समीक्षा का उद्देश्य मौजूदा अध्ययनों और साहित्य के आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण में एनजीओ की भूमिका का पता लगाना और उसका विश्लेषण करना है। इस क्षेत्र में एनजीओ की विविध गतिविधियों, रणनीतियों और प्रभावों की जांच करके, यह समीक्षा लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त बनाने में एनजीओ के उपायों की प्रभावशीलता और महत्व के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करती है।

उद्देश्य

1. इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना और मूल्यांकन करना था कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं।
2. एनजीओ द्वारा शुरू की गई उन वास्तविक पहलों की जाँच करना, जो महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित हैं—जिनमें कानूनी सहायता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएँ और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।
3. सामुदायिक पहुँच के प्रयासों—जैसे कि जागरूकता अभियान, तथा महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रमों—का अवलोकन और दस्तावेज़ीकरण करना।

महिला सशक्तिकरण

1. **वकालत और जागरूकता:** एनजीओ अक्सर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं और लिंग-आधारित हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुँच जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। अभियानों, कार्यशालाओं

और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से, वे समुदायों और नीति निर्माताओं को महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं।

2. **क्षमता निर्माण:** कई एनजीओ महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण और कौशल-निर्माण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने, व्यवसाय शुरू करने और अपने समुदायों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करते हैं।
3. **आर्थिक सशक्तिकरण:** एनजीओ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म वित्त पहल, उद्यमिता प्रशिक्षण और व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम लागू करते हैं। ऋण, संसाधनों और बाज़ार संपर्कों तक पहुँच प्रदान करके, वे महिलाओं को आय अर्जित करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में सक्षम बनाते हैं।
4. **स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार:** एनजीओ स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार नियोजन संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। वे मातृ मृत्यु दर, एचआईवी/एड्स की रोकथाम, और स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुँच जैसे मुद्दों को भी संबोधित करते हैं, जो महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।
5. **कानूनी सहायता और न्याय:** एनजीओ उन महिलाओं को कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं जिन्होंने भेदभाव, हिंसा या अन्याय का अनुभव किया है। वे कानूनी प्रणालियों को समझने, शिकायतें दर्ज करने और न्याय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए नीतिगत सुधारों की वकालत करते हैं।
6. **शिक्षा और साक्षरता:** एनजीओ लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा देते हैं, और गरीबी, सांस्कृतिक मानदंडों और लिंग भेदभाव जैसी बाधाओं को दूर करते हैं। वे स्कूल स्थापित करते हैं, और प्रदान करते हैं छात्रवृत्तियाँ, और महिलाओं में साक्षरता दर को बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम विकसित करते हैं, जिससे उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
7. **राजनीतिक भागीदारी:** एनजीओ राजनीतिक प्रक्रियाओं और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। वे नागरिक जुड़ाव, नेतृत्व विकास और राजनीतिक प्रचार पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे शासन संरचनाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और प्रभाव को बढ़ाने के लिए लिंग-संवेदनशील नीतियों और चुनावी सुधारों की वकालत करते हैं।
8. **सामुदायिक विकास:** एनजीओ सामुदायिक विकास की उन पहलों में शामिल होते हैं जो महिलाओं को बदलाव के वाहक के रूप में सशक्त बनाती हैं। वे निर्णय लेने वाले मंचों, सामुदायिक विकास परियोजनाओं और जमीनी स्तर के संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाते हैं, जिससे उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय विकास प्रयासों में उनकी भूमिकाएँ बढ़ती हैं।
9. **अनुसंधान और प्रलेखन:** एनजीओ महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करते हैं और डेटा एकत्र करते हैं, जिससे रुझानों, चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने में मदद मिलती है। वे इस साक्ष्य का उपयोग अपने कार्यक्रमों को सूचित करने, नीतिगत बदलावों की वकालत करने और व्यापक ज्ञान साझाकरण तथा जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में योगदान देने के लिए करते हैं।
10. **भागीदारी और नेटवर्किंग:** एनजीओ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता और प्रभाव का लाभ उठाने हेतु सरकारों, व्यवसायों, अन्य एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं। रणनीतिक भागीदारी और नेटवर्किंग के माध्यम से, वे अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं और जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए तालमेल (सहयोग) बनाते हैं।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु एनजीओ की पहलों का मूल्यांकन

भारत में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटने में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) एक अहम भूमिका निभाते हैं। वे कई तरह की पहल चलाते हैं, जिनमें कानूनी सहायता, आश्रय स्थल, जागरूकता कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास शामिल हैं। हालांकि इन पहलों का कई लोगों के जीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन इनकी सफलता जगह, उपलब्ध संसाधन, और समुदाय की प्रतिक्रिया जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यहाँ कुछ मुख्य पहलों का विवरण दिया गया है:

(IJASSH) 2024, Vol. No. 18, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5150 p-ISSN: 2455-7722**

1. **कानूनी सहायता और समर्थन:** कानूनी सहायता देने वाले एनजीओ ने कई महिलाओं को न्याय पाने के लिए सशक्त बनाया है, खासकर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और बाल विवाह से जुड़े मामलों में। वे कानूनी जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं और महिलाओं को जटिल कानूनी प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देते हैं।
   - **मज़बूत पक्ष:** कमज़ोर महिलाओं के लिए कानूनी जानकारी और न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाता है।
   - **चुनौतियाँ:** अक्सर ग्रामीण और रूढ़िवादी इलाकों में डर, सामाजिक कलंक, और सीमित पहुँच के प्रयासों के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाता।
2. **आश्रय गृह और संकट केंद्र:** आपातकालीन आश्रय और अल्पकालिक आवास उन महिलाओं को ज़रूरी सुरक्षा देते हैं जो हिंसा या अकेला छोड़े जाने की स्थिति से बचकर निकलती हैं। ये केंद्र बुनियादी ज़रूरतें, कानूनी सहायता, और परामर्श सेवाएँ देते हैं।
   - **मज़बूत पक्ष:** ठीक होने और समाज में फिर से घुलने-मिलने के लिए सुरक्षित पनाहगाह और सहायता केंद्रों का काम करते हैं।
   - **चुनौतियाँ:** आमतौर पर इन्हें फंडिंग की कमी, ज़्यादा भीड़, और लंबे समय तक चलने वाले सहायता विकल्पों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. **आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम:** आत्मरक्षा कार्यशालाएँ महिलाओं को खतरनाक स्थितियों में अपनी सुरक्षा करने के लिए बुनियादी कौशल और तकनीकें सिखाती हैं, साथ ही उनकी मनोवैज्ञानिक मज़बूती को भी बढ़ाती हैं।
   - **मज़बूत पक्ष:** आत्मविश्वास, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता, और अपनी बात मज़बूती से रखने की क्षमता को बढ़ाता है।
   - **चुनौतियाँ:** कुछ इलाकों में लगातार चलने वाले कार्यक्रमों की कमी और सामाजिक विरोध के कारण इनकी लंबे समय तक चलने वाली प्रभावशीलता कम हो सकती है।
4. **सामुदायिक जागरूकता अभियान:** जागरूकता पहलें नुक्कड़ नाटक, घर-घर जाकर संपर्क करना, कार्यशालाएँ, और सोशल मीडिया जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके समुदायों को लिंग-आधारित हिंसा, अधिकारों, और सहायता विकल्पों के बारे में जानकारी देती हैं।
   - **मज़बूत पक्ष:** लोगों की सोच बदलने, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने, और खुलकर चर्चा करने का माहौल बनाने में मदद करता है।
   - **चुनौतियाँ:** व्यवहार में बदलाव धीरे-धीरे आता है, और इसका तुरंत पड़ने वाले असर को मापना मुश्किल हो सकता है।
5. **व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रम:** कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे उन्हें दुर्व्यवहार का विरोध करने और अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने में मदद मिलती है।
   - **मज़बूत पक्ष:** आर्थिक सशक्तिकरण का सुरक्षा और आत्म-सम्मान से गहरा संबंध होता है।
   - **चुनौतियाँ:** इन कार्यक्रमों की सफलता बाज़ार से जुड़ाव, प्रशिक्षण के बाद मिलने वाली सहायता और पारिवारिक सहयोग पर निर्भर करती है।
6. **मानसिक स्वास्थ्य और आघात परामर्श:** एनजीओ दुर्व्यवहार से पीड़ित लोगों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं, ताकि वे अपनी भावनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें और अपना जीवन फिर से स्थापित कर सकें।

एनजीओ की विशेषताएं

एनजीओ मुख्य रूप से उन लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके साथ वे काम करते हैं। एक एनजीओ के प्रभावी होने के लिए उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए

1. **स्वैच्छिक:** एनजीओ स्वैच्छिक संगठन होते हैं और कुछ ऐसे जागरूक लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी समाज के विकास में अपनी निजी रुचि होती है। इन्हें किसी की भी ज़बरदस्ती या दबाव में नहीं बनाया जाता है। यदि इन्हें इस तरह बनाया जाता है, तो ये अपने कार्यों में प्रभावी नहीं हो पाते हैं।
2. **कानूनी दर्जा:** एनजीओ सरकार के साथ सोसाइटीज़ एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, और कंपनीज़ एक्ट आदि के तहत पंजीकृत होते हैं। वे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम' (एफसीआरए) के तहत भी

(IJASSH) 2024, Vol. No. 18, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5150 p-ISSN: 2455-7722**

पंजीकृत होते हैं। विदेशों से फंड प्राप्त करने का अधिकार पाने के लिए एफसीआरए के तहत यह पंजीकरण आवश्यक होता है।

3. **स्वतंत्र:** एनजीओ को अपने कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी तरह का बाहरी दखल एनजीओ को अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोक सकता है।
4. **लचीला:** एनजीओ को बाहरी दखल के प्रति लचीला होना चाहिए। वे लालफीताशाही और दूसरी सरकारी अड़चनों से बंधे नहीं होते।
5. **फैसले लेने में तेज़:** एनजीओ समाज की ज़रूरतों के हिसाब से तुरंत फैसले लेते हैं। फैसले जितनी तेज़ी से लिए जाते हैं, वंचित लोगों तक सेवाएँ उतनी ही तेज़ी से पहुँचती हैं।
6. ज़्यादा जोश; सदस्यों और कर्मचारियों में लोगों के भले के लिए काम करने का बहुत ज़्यादा जोश और प्रेरणा होती है। वे लक्षित समूहों के फायदे के लिए अपना मकसद पाने की खातिर बिना थके मेहनत करते हैं।
7. **काम में आज़ादी:** एनजीओ कार्यकर्ताओं को अपने फील्ड वर्क में, समुदाय को संगठित करने में और विकास योजनाओं को लागू करने में आज़ादी मिलनी चाहिए।
8. **उत्प्रेरक:** एनजीओ समुदायों को सामाजिक कामों के लिए प्रेरित करते हैं और उनमें जोश भरते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद को कमज़ोर या विकृत नहीं होने देते।
9. **लोगों पर केंद्रित:** एनजीओ लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। वे लोगों के लिए योजनाएँ बनाते हैं और उन्हें लोगों के ज़रिए ही लागू करते हैं। वे स्वयंसेवकों के साथ चर्चा करके फैसले लेते हैं और ऐसा फैसला लागू करते हैं जो लोगों के विकास में सबसे ज़्यादा असरदार हो।
10. **मुनाफ़े पर आधारित नहीं:** एनजीओ मुनाफ़ा कमाने के इरादे से नहीं चलाए जाते। आर्थिक परियोजनाओं से होने वाला अतिरिक्त पैसा या मुनाफ़ा (अगर कोई हो) सदस्यों या हिस्सेदारों के बीच नहीं बाँटा जाता। इसका इस्तेमाल किसी दूसरे विकास कार्य के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष

एनजीओ महिलाओं के सशक्तिकरण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए वे एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें वकालत, क्षमता निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी सहायता, सामुदायिक विकास और नीतिगत वकालत शामिल हैं। लैंगिक असमानताओं को दूर करके और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देकर, एनजीओ महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने, अवसरों तक पहुँच बनाने और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से, एनजीओ एक अधिक समतावादी और समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जहाँ महिलाएँ आगे बढ़ सकती हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकती हैं। हालाँकि, विश्व स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में एनजीओ की पहलों के प्रभाव को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए निरंतर सहयोग, संसाधनों का जुटाव और रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

संदर्भ

[1] मेयूक्स, एल. (2001). नकारात्मक पहलुओं से निपटना: कैमरून में सामाजिक पूंजी, महिला सशक्तिकरण और सूक्ष्म-वित्त. विकास और परिवर्तन, 32(3), 435-464.

[2] अग्रवाल, बी. (1997). मोलभाव और लैंगिक संबंध:घर के भीतर और बाहर। फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स, 3(1), 1-51.

[3] मोलिनक्स, एम. (1985). बिना मुक्ति के लामबंदी? महिलाओं के हित, राज्य, औरनिकारागुआ में क्रांति। फेमिनिस्ट स्टडीज़, 11(2), 227-254.

[4] ए.के. पटेल, एम.वी. दुबे, एनजीओ और समाज कार्य, क्रेसेंट पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, 2010.

[5] चौधरी डी.डी. पॉल, भारत में स्वैच्छिक समाज कल्याण, नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिकेशन 1971.

[6] ढिल्लों, डी.एस. और बी.एस. हंसरा, ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका, कुरुक्षेत्र, 43, 1995.

[7] फेमिडा हैंडी पीएचडी और मीनाज़ कसम पीएचडी (2006) जो कहते हैं, क्या वही करते हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण में ग्रामीण एनजीओ की भूमिका, जर्नल ऑफ़ कम्युनिटी प्रैक्टिस, 14:3, 69-91.

[8] जैन, भारत में एनजीओ; विकास में एनजीओ: सिद्धांत और व्यवहार, संपादित बावा नूरजहाँ। नई दिल्ली, कनिष्क, 1997.

[9] मुथुसामिकुमारन (2014) महिलाओं के सशक्तिकरण में एनजीओ की भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और रुझान, इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,

[10] अलसोप, आर., बर्टेलसेन, एम.एफ., और हॉलैंड, जे. (2006) व्यवहार में सशक्तिकरण: विश्लेषण से कार्यान्वयन तक। विश्व बैंक।

[11] मोज़र, सी. (1993). लैंगिक नियोजन और विकास: सिद्धांत, व्यवहार और प्रशिक्षण। रूटलेज।

[12] पियर्सन, आर., और स्वीटमैन, सी. (2011). लिंग और संबंधों की शक्ति: कोटे डी आइवर में 'सर्वसम्मति-पश्चात' विकास। विकास और परिवर्तन, 42(4), 887-909.

[13] एग्नेस, फ्लेविया। (1999)। कानून और लैंगिक असमानता: भारत में महिलाओं के अधिकारों की राजनीति। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[14] नायर, जानकी। (2000)। औपनिवेशिक भारत में महिलाएं और कानून। काली फॉर विमेन।

[15] इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन (आईसीआरडब्ल्यू). (2017). महिलाओं की सुरक्षा में नवाचार: भारत से साक्ष्य.

References

1. Mayoux, L. (2001). **Tackling the downside: Social capital, women's empowerment, and microfinance in Cameroon.** *Development and Change, 32*(3), 435–464.
2. Agarwal, B. (1997). **Bargaining and gender relations: Within and beyond the household.** *Feminist Economics, 3*(1), 1–51.
3. Molyneux, M. (1985). **Mobilization without emancipation? Women's interests, the state, and revolution in Nicaragua.** *Feminist Studies, 11*(2), 227–254.
4. Patel, A. K., & Dubey, M. V. (2010). *NGOs and social work*. Crescent Publishing Corporation.
5. Paul, D. D. Chaudhary. (1971). *Voluntary social welfare in India*. Sterling Publications.
6. Dhillon, D. S., & Hansra, B. S. (1995). **The role of voluntary organizations in rural development.** *Kurukshetra, 43*.
7. Handy, F., & Kassam, M. (2006). **Practicing what they preach? The role of rural NGOs in women's empowerment.** *Journal of Community Practice, 14*(3), 69–91.
8. Jain. (1997). **NGOs in India.** In B. Noorjahan (Ed.), *NGOs in development: Theory and practice*. Kanishka Publishers.
9. Muthusamikumaran. (2014). **Roles, responsibilities, and trends of NGOs in women's empowerment.** *Indian Journal of Public Administration*. *(Volume, issue, and page numbers not available in the information provided.)*
10. Alsop, R., Bertelsen, M. F., & Holland, J. (2006). *Empowerment in practice: From analysis to implementation*. World Bank.
11. Moser, C. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
12. Pearson, R., & Sweetman, C. (2011). **Gender and the power of relationships: "Post-consensus" development in Côte d'Ivoire.** *Development and Change, 42*(4), 887–909.
13. Agnes, F. (1999). *Law and gender inequality: The politics of women's rights in India*. Oxford University Press.
14. Nair, J. (2000). *Women and law in colonial India*. Kali for Women.
15. International Center for Research on Women. (2017). *Innovations in women's safety: Evidence from India*.